

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 419/2024
अनवान : -

1. महावीर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. श्योकोरी पत्नी मनफूलराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. नन्दराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. रामकिशन डुडी पुत्र मनफूलराम डुडी जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. शिशुपाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
5. भागीरथ डूडी पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री मनफूलराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
7. सरोज पुत्री मनफूलराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 100/87 की कुल 9.8870 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 228/209 की कुल 0.0630 हैक्ट एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता संख्या 154/148 की कुल 69.0750 हैक्ट भूमि में से 3491/13815 हिस्सा भूमि मनफुल पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र रावताराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है मनफुल पुत्र रावताराम का देहान्त हो चुका है तथा मनफुल पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 7 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।



CL

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण मनफुल, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र रावताराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है मनफुल पुत्र रावताराम का देहान्त हो चुका है तथा मनफुल पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 7 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 100/87 की कुल 9.8870 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 228/209 की कुल 0.0630 हैक्ट एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता संख्या 154/148 की कुल 69.0750 हैक्ट भूमि में से 3491/13815 हिस्सा भूमि मनफुल पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र रावताराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है मनफुल पुत्र रावताराम का देहान्त हो चुका है तथा मनफुल पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 7 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक मनफुल के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 100/87 की कुल 9.8870 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 228/209 की कुल 0.0630 हैक्ट एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता संख्या 154/148 की कुल 69.0750 हैक्ट भूमि में से 3491/13815 हिस्सा भूमि मनफुल पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे मृतक मनफुल का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 419/2024

अनवान : -

1. महावीर पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. श्योकोरी पत्नी मनफूलराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. नन्दराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. रामकिशन डुडी पुत्र मनफूलराम डुडी जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. शिशुपाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
5. भागीरथ डूडी पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री मनफूलराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
7. सरोज पुत्री मनफूलराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 419 सन 2024 निर्णय दिनांक -07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 100/87 की कुल 9.8870 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 228/209 की कुल 0.0630 हैक्ट एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता संख्या 154/148 की कुल 69.0750 हैक्ट भूमि में से 3491/13815 हिस्सा भूमि मनफूल पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे मृतक मनफूल का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...07/06/24... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर